समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
झारखण्ड

आई0सी0डी0एस0
समेकित बाल विकास सेवा योजना

उद्देश्य

- महिलाओं एवं 0–6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना
- बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु सुदृढ़ नींव डालना
- कुपोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, विद्यालय त्याग की दर में कमी लाना
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य का पूर्णतः ख्याल रख सकें

लक्ष्य समूह

गर्भवती महिलाएँ

धात्री माताएँ

समेकित बाल विकास सेवाएँ

0–6 वर्ष के बच्चे

किशोरी बालिकाएँ

आच्छादन

- 204 परियोजनाएँ जिनमें 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्र आच्छादित हैं
- वर्त्तमान में 24 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, 121 बाल परियोजना पदाधिकारी तथा 730 महिला पर्यवेक्षिकाएँ कार्यरत है।
- आँगनबाड़ी सेविकाओं की संख्या 38,310 तथा सहायिकाओं की संख्या 35,810 है।

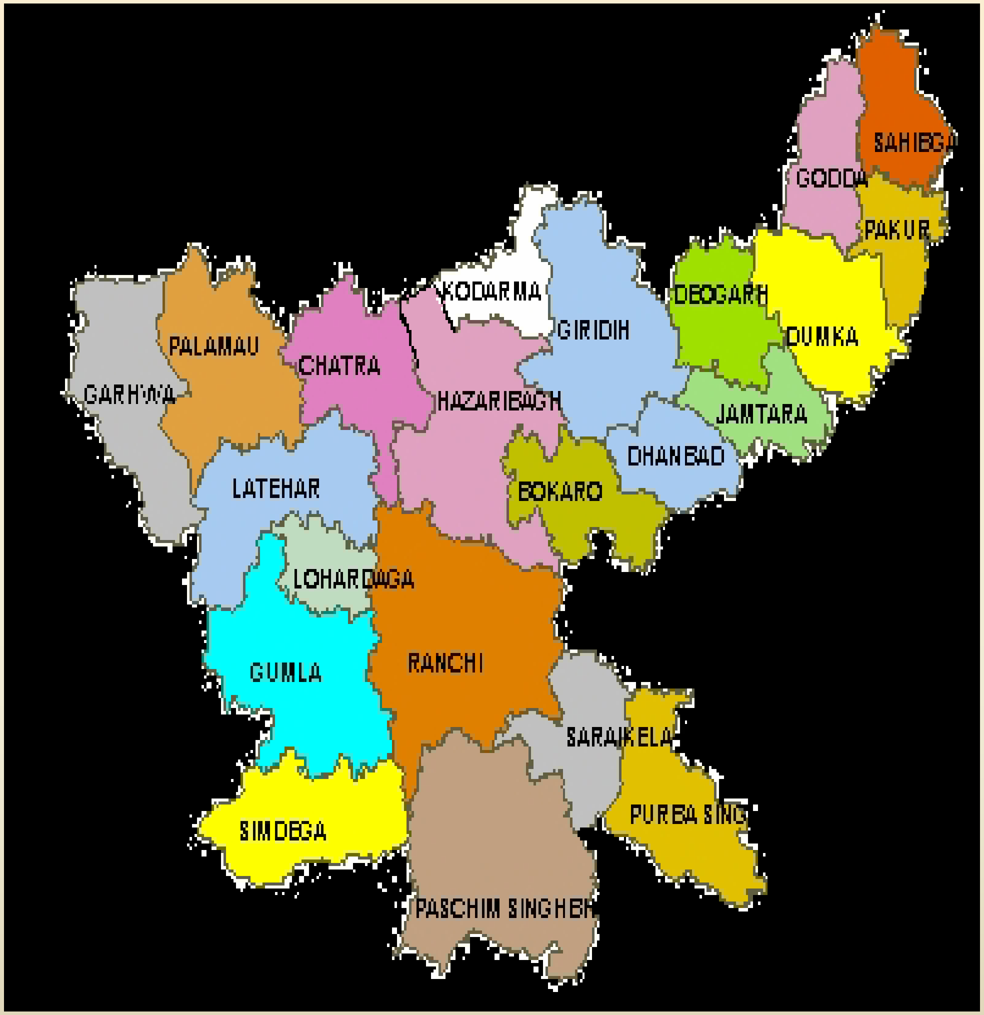

आई.सी.डी.एस. की सेवाएँ

- ग्रामीण परिवारों की गर्भवती महिलाओं, धात्री मताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने वाला आई.सी.डी.एस. एम मात्र कार्यक्रम है। लक्षित समूहों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं मुहैया कराने के अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आई.सी.डी.एस. के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती है :–
- **पूरक पोषाहार**
- **टीकाकरण**
- **स्वास्थ्य जाँच एवं वृद्धि निगरानी**
- **अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा**
- **स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा**
- **संदर्भ सेवा**

चिन्हित छः सेवाओं में से तीन सेवाओं टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं संदर्भ सेवओं तक लक्षित लाभुक वर्ग की पहुँच स्वास्थ्य विभाग के समनवय से सुनिश्चित की जाती है।

आई.सी.डी.एस. की सेवाएँ

- **पूरक पोषाहार** – (6वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ) आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा ग्रहण किये जा रहे दैनिक आहार के साथ–साथ पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उस आयु विशिष्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित मात्रा में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार टी.एच.आर. के रूप में माह में दो बार वितरित किया जाता है, जबकि 3 वर्ष से 6वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन सुबह का नाश्ता एवं गर्म पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

- **टीकाकरण** – गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का प्रतिरक्षण बच्चों को 6 बिमारियों पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, यक्ष्मा (टी.बी.) एवं खसरा से बचाता है। ये शिशु मृत्यु, निःशक्तता, रूग्णता एवं कुपोषण के मुख्य कारक हैं। गर्भवती महिलाओं का टेटनस का टीकाकरण मातृ एवं नवजात मृत्युदर को कम करता है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रजननात्मक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ये सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ लौह तत्व एवं विटामिन संपूरण भी क्रमशः गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। टीकाकरण प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर ''ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस'' के दिन आँगनबाड़ी सेविका, सहायिक, माता सहायता समूह/स्थानीय संदर्भ समूह की मदद से सुनिश्चित किया जाता है।

आई.सी.डी.एस. की सेवाएँ

- **स्वास्थ्य जाँच एवं वृद्धि निगरानी** – इस सेवा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व नियमित जाँच एवं प्रसवोपरांत देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की जाती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन स्वास्थ्य जाँच चौथे, सातवें एवं नौवें माह में सुनिश्चित की जाती है, जिसके तहत महिला के वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन तथा मूत्र जाँच के साथ–साथ गर्भस्थ शिशु की भी जाँच की जाती है। भावी मताओं को गर्भावस्था के दौरान स्वच्छता, नवजात बच्चों के स्तनपान, बच्चों की देखरेख तथा दो बच्चों में अंतर के संबंध में भी जानकारी दी जाती है।

प्रसव के उपरांत भी गृह भ्रमण के दौरान आँगनबाड़ी सेविका द्वारा सिर्फ स्तनपान, शिशु के सामान्य स्वास्थ्य आदि विषय पर चर्चा की जाती है। इसके साथ–साथ बच्चों की वृद्धि निगरानी भी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर की जाती है और वृद्धि चार्ट पर उनका अंकन किया जाता है ताकि उनकी वृद्धि का अनुश्रवण किया सके।

आई.सी.डी.एस. की सेवाएँ

- **अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा** – प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयुवर्ग वाले बच्चों के लिए नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियों के आयोजन का प्रावधान है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करना तथा विद्यालय छीजन दर में कमी लाना है। आँगनबाड़ी केन्द्र बच्चों को मानसिक भावनात्मक रूप से औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की कड़ी का काम करता है।

- **स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा** – हमारे देश की सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना ऐसी है कि परिवार स्तर पर सदस्यों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी महिला की होती हैं इस सेवा के अन्तर्गत 15–45 वर्ष की सभी महिलाओं विशेषकर गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर शिक्षा दी जाती है। इसके अन्तर्गत महिलाओं में स्तनपान, ऊपरी आहार, स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ–सफाई, टीकाकरण, वृद्धि निगरानी, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थो की उपयोगिता आदि जानकारी प्रदान कर व्यवहारगत परिवर्त्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कुपोषित, कम वजन वाले तथा अक्सर बीमार पड़ने वाले बच्चों की माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उनका नियमित फॉलो–अप भी किया जाता है।

आई.सी.डी.एस. की सेवाएँ

- **संदर्भ सेवाएँ** – गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों जिन्हें विशेषकर देखभाल के आवश्यकता होती है उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अनुमंडल अस्पताल/जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। सामान्यतः यह कार्य ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन किया जाता है। सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के ऊपरी बाँह के मध्य भाग को एम.यू.ए.सी. टेप से मापकर, 11.5 से कम माप वाले बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र रेफर किया जाता है।

आई.सी.डी.एस. की सेवाओं

लाभार्थी वर्ग :– आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत विभिन्न सेवाएँ निम्नलिखित लाभुक वर्ग के बीच सुनिश्चित की जाती है।

लाभुक वर्ग	सेवाएँ
6 माह से कम आयु वाले बच्चे	टीकाकरण
6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	पूरक पोषाहार टीकाकरण स्वास्थ्य जाँच संदर्भ सेवाएँ
3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	पूरक पोषाहार टीकाकरण स्वास्थ्य जाँच संदर्भ सेवाएँ अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा

आई.सी.डी.एस. की सेवाओं

लाभार्थी वर्ग :– आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत विभिन्न सेवाएँ निम्नलिखित लाभुक वर्ग के बीच सुनिश्चित की जाती है।

लाभुक वर्ग	सेवाएँ
गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ	स्वास्थ्य जाँच गर्भवती महिलाओं को टेटनस का टीका संदर्भ सेवाएँ पूरक पोषाहार स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
अन्य महिलाएँ (15 से 45 वर्ष की)	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा

स्ट्रेप (State Training Action Plan)

- आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से सभी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आँगनबाड़ी कर्मियों का क्षमता संवर्द्धन आवश्यक है।
- इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य में भारत सरकार के सहयोग से 15 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिनमें विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण का आयोजन भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाता है।
- आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र में प्राचार्या तथा 2 अनुदेशकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है :–

सेविका

- **जोब कोर्स** – इस प्रशिक्षण की अवधि 32 दिनों की है जिसमें कुल 26 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें 22 दिन संस्थान में आई.सी.डी.एस. के विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है तथा 4 दिनों आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करा कर व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रशिक्षण में 35 सेविकाएँ भाग लेती है।
- **रिफ्रेशर्स कोर्स** – इस प्रशिक्षण की अवधि 7 दिनों की है । जिसमें 5दिन संस्थान में आई.सी. डी.एस. के विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। जॉब कोर्स प्राप्त करने के दो–दो वर्षो के अन्तराल में सेविका को रिफ्रेशर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इसमें प्रति प्रशिक्षण 40 सेविकाएँ भाग लेती है।

स्ट्रेप

<u>सहायिका</u>

- **जोब कोर्स** – इस प्रशिक्षण को ऑरेयेन्टेशन प्रशिक्षण कहा जाता है। इसकी अवधि 8 दिनों की होती है जिसमें 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रति प्रशिक्षण 50 सहायिका भाग लेती है।

- **रिफ्रेशर्स कोर्स** – इस प्रशिक्षण की अवधि 5 दिनों की है जिसमें 4 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जॉब कोर्स प्राप्त करने के दो–दो वर्षो के अन्तराल में सेविका को रिफ्रेशर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इसमें प्रति प्रशिक्षण 50 सहायिका भाग लेती है।

स्ट्रेप

S.No.	Name Of AWTC	Official Address
1	Institute of Labour Studies(unit I & II)	Ins.of Labour Studies,Kadma, Near Rankini Mandir, Jamshedpur, Unit 1Ph-0657-2306808
2		Ins.of Labour Studies ,Kadma, Near Rankini Mandir, Jamshedpur, Unit1Ph-0657-2306808
3	Holy Cross Bal Siksha Centre	Holy cross Bal Siksha Kendra, Vardwan compound, Ranchi Ph-0651-2563180
4	Mahila Dastakari Vidyalaya	Mahila Dastakari Vidyalaya ,Shamimabad,Itki ,Ranchi Ph-06529-227216/98015767
5	Gram Prodhougiki Vikas Sansthan	Gram Prodhougiki Vikas Sansthan, Behind Nirmaya cinema , Choudhary Colony, Sahebganj Ph-06436-222431
6	Santhal Pargana Gramodhyog Samiti	Santhal Pargana Gramodhyog Samiti ,Dudhani ,Near Tawer Chouk,Bhagalpur Road Dumka
7	Badlav Foundation	Badlav Foundation, Chitranjan Station Road,Mihijam,Jamtara Ph-06433-228592
8	Samajik Kalyan Sanstha	Samajik Kalyan Sanstha ,Bekarbandh,Dhanbad Ph-0326-2224868
9	Sri Amar Sanskar Kalyan Kendra	Sri Amar Sanskar Kalyan Kendra,Jaina More,Bokaro Ph-06542-250042
10	Tata Steel Rural Development Society	Tata Steel Rural Development Society,Ghatotar,Near DAV School Ghato Hazaribagh Ph-06545-262307
11	Vikas Bharti	Vikas Bharti Bishunpur,Gumla Ph-06523-274306/274356
12	Sahid Devendra Manjhi,Anganwari prashichan Kendra	Sahid Devendra Manjhi,Anganwari prashichan Kendra,Near Carmel School Chakardharpur,West Singhbhum
13	Samanway Sansthan	Samanway Sansthan ,Mariumpur,Koderma
14	Chotanagpur Craft Development Society	Chotanagpur Craft Development Society,Behind Harijan School Pawerganj Lohardaga Ph-0652-6295656
15	People Institute for development & training (PIDIT)	People Institute for development & training (PIDIT),Jagdhishpur-Madhupur Deoghar 815353/9006070094

किशोरी शक्ति योजना

- किशोरी बालिकाओं (11 से 18 वर्ष की गैर विद्यालयीय)के बेहतर स्वास्थ्य पोषण, मानसिक एवं शारीरिक विकास, जीवन कौशल उन्नयन को लक्षित भारत सरकार सम्पोषित इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 17 जिलों में किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की 24325 आँगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्र में आनेवाली लगभग 3.6 लाख किशोरी बालिकाएँ लाभान्वित हो रहीं हैं।
- इसके अन्तर्गत प्रति परियोजना प्रति वर्ष रू. 1,10,000/– का वित्तीय प्रावधान है।
- इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं :–

✓ किशोरी किट के माध्यम से गैर विद्यालयीय किशोरियों में गणितीय, तार्किक, बौद्धिक तथा निर्णायक क्षमता का विकास

✓ जीवन कौशल शिक्षण प्रदान करना

✓ अर्श (Adolescent Reproductive & Sexual Health) तथा शिशु देखभाल, गृह प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण देकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना

✓ व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनका कौशल उन्नयन तथा रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराना

✓ आई.एफ.ए. सम्पूरण तथा स्थानीय उपलब्ध पोषक पदार्थो के सेवन हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें अनीमिया, कुपोषण आदि स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना

सबला

- किशोरी बालिकाओं (11 से 18 वर्ष) के सशक्तिकरण हेतु पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना तथा किशोरी बालिकाओं हेतु पोषण कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) को समायोजित कर भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक तौर पर देश के 200 जिलों में सबला योजना माह नवम्बर, 2010 से प्रारंभ की गयी है।
- इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड के 7 जिले – राँची, हजारीबाग, गुमला, साहेबगंज, गढ़वा गिरिडीह तथा पश्चिमी सिंहभूम के अन्तर्गत कुल 81 परियोजनाओं के 14,107 आँगनबाड़ी केन्द्र आच्छादित हैं।
- यह योजना गैर विद्यालयीय तथा विद्यालयीय दोनों किशोरी बालिकाओं को लक्षित कर तैयार की गयी है।
- इसके अन्तर्गत पोषण अवयव के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः रू. 5/– प्रति लाभार्थी प्रति दिन वर्ष में कुल 300 दिनों के लिए तथा गैर पोषण अवयवों के लिए प्रति परियोजना प्रति वर्ष रू. 3,80,000/– का वित्तीय प्रावधान है।
- पोषण अवयव के अन्तर्गत 11–14 वर्ष की गैर विद्यालयीय किशोरी तथा 14–18 वर्ष तक की गैर विद्यालयीय एवं विद्यालयीय दोनों वर्गो की किशोरियों को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार के रूप में 600 कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन प्रति दिन के रूप में पोषण देने का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत 7 जिलों में सर्वेक्षण के आधार पर कुल 6,32,926 किशोरियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सबला

- पोषण अवयव पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 की दर से किया जाना है। गैर पोषण अवयव के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
- किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में दो दिन आयरन गोली का सेवन, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ, स्वच्छता, पोषण, अर्श परिवार एवं बच्चों की देख रेख से संबंधी मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षण आदि प्रदान किया जाना है।
- इस योजना के अन्तर्गत लक्षित लाभुक वर्ग को दो समूहों 11–14 वर्ष तथा 14–18 वर्ष में विभक्त कर जीवन कौशल शिक्षण हेतु आयु आधारित मॉडयूल विकसित किये गये हैं।
- किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध जन सेवाओं की जानकारी तथा उन तक पहुँच सुनश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जन सेवाओं यथा बैंक, डाकघर, पुलिस थाना आदि के भ्रमण का प्रावधान भी रखा गया है।

क्रमशः

सबला

- 16 वर्ष से अधिक आयु की किशोरी बालिकाओं के लिए कौशल उन्नयन तथा आय अर्जक विकल्प के रूप में रूचि आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान हैं। जिसके लिए श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम से समन्वय स्थापित किया जाना हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण किसी अन्य संस्थान से भी कराया जा सकता है।
- किशोरी बालिकाओं के विभिन्न मुद्दों पर समझ स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण किट का प्रावधान किया गया है। जिसमें प्रति परियोजना रू. 1000/– प्रति वर्ष का बजट है जिसके अन्तर्गत विभिन्न फ्लैश कार्ड, पुस्तिकाओं, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के माध्यम से किशोरियों को विभिन्न मुद्दों में शिक्षित किया जाना हैं ।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

- भारत सरकार द्वारा पायलट योजना के तहत राज्य के दो जिलों यथा सिमडेगा तथा पूर्वी सिंहभूम के 17 परियोजनाओं के 2,687 आँगनबाड़ी केन्द्रों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- **इसके निम्नलिखित उद्देश्य है :–**
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और उनके शिशुओं 0–6 माह तक के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना
- गर्भावस्था तथा स्तनपान के समय सही व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
    - उपलब्ध सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना
    - आई.वाई.सी.एफ. व्यवहारों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना
    - निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक हर्जाने के रूप में नकद प्रोत्साहन राशि देना
- इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुल रू. 4000/– नगद राशि का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रति लाभूक 200 रू0 एवं 100 रू0 मानदेय का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत 52,483 महिलाएँ लाभान्वित हो रहीं हैं।

आई.जी.एम.एस.वाई. : क्रम जारी

नकद अंतरण	शर्तें	धनराशि
पहली किस्त (गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के अंत में)	1. पहले चार माह के भीतर आँगनवाड़ी केंद्र/स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला का पंजीकरण हुआ हो 2. कम से कम 1 बार प्रसव पूर्व जांच कराई हो 3. आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां प्राप्त कीं 4. टी.टी. का कम से कम 1 टीका लगवाया हो 5. आँगनबाड़ी केंद्र/ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर/घर पर कम से कम 1 परामर्श सत्र में भाग लिया हो	1500
जननी सुरक्षा योजना के मानकों के अनुसार जननी सुरक्षा योजना पैकेज।		

आई.जी.एम.एस.वाई. : क्रम जारी

नकद अंतरण	शर्तें	धनराशि
दूसरी किस्त (प्रसव के तीन महीने बाद)	1. बच्चे के जन्म का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र/स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। 2. बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई गयी है और बी.सी.जी. का टीका लगवाया गया है। 3. बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई गयी है और डी.पी.टी. का पहला टीका लगवाया गया है। 4. बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई गयी है और डी.पी.टी. का दूसरा टीका लगवाया गया है। 5. जन्म के पश्चात् बच्चे का कम से कम 2 बार वज़न करवाया गया है। 6. आई.वाई.सी.एफ. के विषय में आँगनबाड़ी केंद्र/ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस/घर पर आयोजित परामर्श के कम से कम 2 सत्रों में भाग लिया है।	1500

आई.जी.एम.एस.वाई. : क्रम जारी

नकद अंतरण	शर्तें	धनराशि
तीसरी किस्त (प्रसव के छह महीने बाद)	1. पहले छह माह तक बच्चे को केवल स्तनपान कराया गया है 2. छह माह की आयु पूरी होने पर पूरक आहार शुरू किया गया है 3. बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई गयी है और डी.पी.टी. का तीसरा टीका लगवाया गया है 4. 3 से 6 माह की आयु के बीच बच्चे का कम से कम 2 बार वज़न करवाया गया है 5. प्रसव के 3 माह से 6 माह के बीच आई.वाई.सी.एफ. के विषय में आँगनबाड़ी केंद्र/ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस/घर पर आयोजित परामर्श के कम से कम 2 सत्रों में भाग लिया है	1000

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

- इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के लड़कियों की शादी के लिए 10000.00 रु0 प्रोत्साहन दिया जाता है। माह नवम्बर 2011 से यह राशि बढ़कर 15,000.00 रु0 हो गयी है।
- इसका लाभ युवती को 18 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत ही दिया जा सकता हैं ।
- लाभ की राशि का भुगतान युवती को चेक के माध्यम से किया जाता है।

अन्तरजातीय विवाह

- अन्तर्जातीय विवाह के प्रोत्सहान हेतु राज्य सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों में कोई एक अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, तो उन्हें रू. 25000/– की प्रोत्साहन राशि चेक के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- इस का कार्यान्वयन जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत निशक्त व्यक्तियों को प्रति माह 200.00 रु0 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 125112 नि:शक्त जनों का लाभ पहुंचाया गया।

हेल्प लाईन योजना

- विभिन्न प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न आदि से पीड़ित महिलाओं को अन्तरिम राहत उपलब्ध कराने, परामर्श देने तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून की मदद लेने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से राज्य में महीला हेल्प लाईन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद एवं बोकारो में गैर सरकारी संस्था के माध्यम से हेल्प लाईन सेवा का संचालन किया जा रहा है।
- **हेल्प लाईन सेवा का Toll Free No. – 10921**

स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला
जेवियर समाज सेवा संस्थान (XISS) राँची	राँची
बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद, धनबाद	धनबाद
बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद, धनबाद	जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)
महिला जन स्वास्थ्य शिशु कल्याण केन्द्र, बोकारो	बोकारो

उद्धार की गई धाइयों के लिए पुनर्वास केन्द्र का संचालन

- रोजगार की तलाश में राज्य से गरीब महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का महानगरों एवं अन्य शहरों में अधिकतर पलायन होता है। यह पलायन अधिकांशतः घर में काम करने वाली घाई के रूप में कार्य करने हेतु होता हैं ।
- इन महिलाओं एवं बच्चियों को कई बार मानसिक एवं शारीरिक शोषण, हिंसा एवं बंधुआ मजदूरी आदि का सामना करना पड़ता है।
- इनके उद्धार एवं पुनर्वास हेतु गैर सरकारी संस्था भारतीय किसान संघ (ATSEC) के द्वारा रांची एंव नई दिल्ली में पूनर्वास केन्द्र संचालित किया जा रहा है।
- **राँची का** Toll Free No. – 1800 3456 526
- **नई दिल्ली का हेल्प लाईन नं0** – 011-32673527
- राँची में विभाग के माध्यम से भारतीय किसान संघ के द्वारा इनके लिए किशोरी निकेतन संचालित किया जा रहा है। जिसमें इनके पुर्नवास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

डायन प्रथा का उन्मूलन

- झारखण्ड राज्य में महिलाओं को विशेष कर वृद्ध, असहाय, विधवा, परित्यक्ता आदि को डायन बता कर प्रताड़ित करने की घटना अक्सर देखी जाती है।
- इस प्रथा के उन्मुलन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में **''डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001''** लागू किया गया है।
- जिसके क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण नोडल विभाग है।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य के कई जिलों में डायन प्रथा के विरूद्ध महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए रेडियो एवं एफ एम चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार अभियान चलाये जा रहे हैं।
- इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के पाँच जिलों में देवघर, राँची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम में किया जा रहा है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

- घरेलू हिंसा के उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा एवं उस स्थिति में कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया है।
- इसके अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
- संरक्षण पदाधिकारी के पास उक्त मामले में पीड़िता, उनके संबंधी अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिले घटना की जानकारी हो मामले की लिखित सूचना दे सकता है।
- मामले की सूचना मिलने के बाद संरक्षण पदाधिकारी की त्वरित कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाना है तथा यदि आवश्यक हो तो पीड़िता को तुरन्त अंतरिम राहत उपलब्ध कराया जाना है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम

- NFHS-III सर्वे के अनुसार झारखण्ड में महिलाओं के विवाह की औसत आयु 15.6 वर्ष है। अर्थात राज्य में किशोरावस्था में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है जो उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा उनसे जन्म लेने वाले बच्चे दोनों के लिए हितकर नहीं है।
- बाल विवाह की रोकथाम के लिए इस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- इसके तहत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
- मामले की सूचना मिलने के बाद विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाना है साथ ही साथ ऐसी घटना न हो इसके लिए अपने क्षेत्र में इसका प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाना है।

दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम

- भारतीय कानून के अनुसार विवाह के दौरान कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को नगद अथवा सामान के रूप में लेन–देन कानूनन अपराध है। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया है।
- इसके तहत जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
- विभाग के द्वारा इस कुप्रथा के खिलाफ तथा इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए प्रति वर्ष जिलों को राशि आवंटित की जाती है।

उज्जवला

महिलाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम और उद्धार, व्यवसायिक यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्वास और एकीकरण की समेकित योजना है। **लाभार्थी** – वैसे महिलाएँ एवं बच्चे जिनका व्यवसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार किया जा सकता है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

•समाजिक जागरूकता एवं स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जागरूकता संवर्द्धन, आम जन से संवाद स्थापित कर व्यवसायिक यौन उत्पीड़न हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना।

•पीड़ितों को शोषण की जगह से बाहर निकालकर सुरक्षित परिरक्षा में प्रदान करने को उत्प्रेरित करना।

•पीड़ितों को आधारभूत सुविधाएँ यथा–शरण, वस्त्र, चिकित्सीय सुविधा, परामर्श, वैधानिक सहायता एवं मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा तात्कालिक एवं दूरगामी पुनर्वास सुविधा कराना।

•पीड़ितों के परिवार एवं समाज में पुनः एकीकरण का प्रयास करना

•अन्य देशों के पीड़ितों को स्वदेश वापस भेजने का प्रयास करना

अवयव – 1. बचाव, 2. उद्धार 3. पुनर्वास, 4. एकीकरण, 5. स्वदेश वापसी

•राज्य में गैर सरकारी संस्था यादगार फाउन्डेशन बैंक कॉलोनी जिला– पाकुड़ को वर्ष 2010 में बचाव (prevention) अवयव में भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

स्वाधार

- कठिन परिस्थितियों से ग्रस्त महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में आश्रय आधारित समग्र तथा समेकित कार्यक्रम।

उद्देश्य

- कठिन परिस्थिति से ग्रस्त सामाजिक, आर्थिक आधार से वंचित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र एवं देखभाल सुविधा,
- ऐसी महिलाओं को भावनात्मक सहारा एवं काउन्सेलिंग,
- शिक्षा, जागरूकता, कौशल उन्नयन एवं व्यक्तित्व विकास द्वारा उनका सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास
- सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना,
- आपदाग्रस्त महिलाओं को हेल्पलाईन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराना
- ऐसी आपदाग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं पुनर्वास हेतु आवश्यक अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

स्वाधार

- **लक्ष्य वर्ग**
- धार्मिक स्थलों पर शोषण की शिकार परिवार एवं परिजनों द्वारा परित्यक्त विधवाएँ
- पारिवारिक सहारे से वंचित जेल से मुक्त महिला बंदी
- प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त गृहविहीन एवं सामाजिक आर्थिक आधार से वंचित महिलाएँ
- पारिवारिक अवलम्ब तथा जीविकोपार्जन के आर्थिक आधार से वंचित उग्रवादी हिंसा से पीड़ित महिलाएँ
- परिवार द्वारा त्याग दी गईं ट्रैफिकिंग एवं यौन शोषण की शिकार महिलाएँ/ बालिकाएँ
- एच०आई०वी०/एड्स पीड़ित परिवार द्वारा परित्यक्त महिलाएँ तथा जिनके पति एच०आई०वी०/एड्स का शिकार हो गये हों एवं जो सामाजिक आर्थिक आधारविहीन हों
- इसी प्रकार की अन्य कठिन परिस्थितियों से ग्रस्त महिलाएँ।
- राज्य में स्वाधार आश्रय गृह दो जिलों बोकारो तथा पलामू में गैर सरकारी संस्था के माध्यम से संचालित है।

स्वयंसेवी संस्था का नाम	जिला	संचालन वर्ष
महिला जनस्वास्थ्य शिशु कल्याण केन्द्र 416, बारी कॉपरेटिव कॉलोनी पो0 सिवन्डीह, बी0एस0 सिटी	बोकारो	2007–08
सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंट एण्ड सोशल एवरनेश (सेसा) पुराना आयकर पथ टाउन नं0 2 रेड़मा डालटनगंज	पलामू	2010–11

कार्यकारी महिला छात्रावास

कार्यकारी महिला छात्रावास का संचालनः राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए राँची जिला में 2, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 1, और खूंटी में 1 छात्रावास संचालित है। बोकारो एवं चक्रधरपुर में छात्रावास के संचालन हेतु एजेन्सी चयन का प्रस्ताव जिला सें मांग की गई है।

ओल्ड एज होम

ओल्ड एज होम का संचालनः राज्य में असहाय एंव निराश्रित वृद्धों के लिए राँची, हजारीबाग एवं गिरीडीह में ओल्ड एज होम का संचालन जिला प्रशासन के देख–रेख में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जमशेदपुर जिला में संचालन हेतु एजेन्सी का चयन करने का प्रस्ताव है।

स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला
उर्सलाईन कॉन्वेन्ट, हेसाग, राँची	राँची
भारतीय रेड क्रास सोसाईटी, हजारीबाग	हजारीबाग
सामाजिक समस्या निवारण एवं कल्याण संस्थान, हजारीबाग	गिरीडीह

स्पैष्टिक एवं अन्य विकलांग बच्चों के विशेष विद्यालय

स्पैष्टिक एवं अन्य विकलांग बच्चों के विशेष विद्यालय की स्थापना एवं संचालनः राज्य योजना मद से गैर सरकारी सस्थाओं के माध्यम से स्पैष्टिक बच्चों के लिए कुल 8 विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला
बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद, धनबाद	जामाताड़ा
मानव सेवा आश्रम, बोकारो	बोकारो
सृजन महिला विकास मंच, चक्रधरपुर	चाईबासा (पश्चिमी सिंहभुम)
सामाजिक समस्या निवारण एवं कल्याण संस्थान, हजारीबाग	हजारीबाग
ज्ञान ज्योति, धनबाद	धनबाद
चेशायर होम, राँची	राँची
दीपशिखा, राँची	राँची
रजरप्पा विकलांग सेवा समिति, लारी, रामगढ़	रामगढ़

सम्प्रेक्षण गृह

सम्प्रेक्षण गृह का संचालन: विधि के उल्लंघक किशोर एवं किशोरियों के लिए राज्य में 10–रांची, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा, गुमला एवं सिमडेगा में सम्प्रेक्षण गृह संचालित है। किशोरियों का सम्प्रेक्षण गृह देवघर में अवस्थित है।

अनाथालय

बाल, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना: राज्य में कुल 6 जिलो यथा– जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), सिमडेगा एवं रांची में स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला
जनजागरण केन्द्र, बरही, हजारीबाग	हजारीबाग
महिला जन स्वास्थ्य शिशु कल्याण केन्द्र, बोकारो	बोकारो
योग नेचर क्योर एंड हेल्थ केयर फाउन्डेशन ऑफ इंडिया, जामताड़ा	जामताड़ा
सोमाया मेमोरियल चिल्ड्रेन होम, जमशेदपुर	जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)
आदिम जाति सेवा मंडल, निवारणपुर, राँची	राँची
जीजस अराईवल, ठेठईटांगर, सिंमडेगा	सिमडेगा
दामपाड़ा विकास समिति, ग्राम–लेदा, घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम

मूक बधिर विद्यालय

मूक बधिर विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को मूक बधिर विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशिः रांची में मुक बधिर विद्यालय तथा दुमका में मुक बधिर विद्यालय का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य में हजारीबाग में पूर्व से एक मूक बधिर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है एवं चाईबासा, गुमला एवं धनबाद में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से सरकार द्वारा नव निर्मित मुक बधिर विद्यालय का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है।

स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला
संत माईकल स्कूल फॉर द हियरिंग एण्ड इम्पेयर्ड, हजारीबाग	हजारीबाग
ज्ञान ज्योति, धनबाद	धनबाद
मुक्ति संस्थान, रॉंची	गुमला
सृजन महिला विकास मंच, चक्रधरपुर	चाईबासा

नेत्रहीन विद्यालय

नेत्रहीन विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को नेत्रहीन विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशिः रांची में नेत्र हीन विद्यालय का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है एवं गैर सरकारी संस्था सामाजिक समस्या निवारण एवं कल्याण संस्थान, हजारीबाग के द्वारा गिरीडीह जिला में नेत्रहीन विद्यालय का संचालन हो रहा है।

विकलांगों के लिए विशेष उपकरण

विकलांगों के लिए विशेष उपकरणः राज्य में विकलांगों को विभिन्न कृत्रिम उपकरण जैसे ट्राई साईकल, श्रवण यंत्र एवं वैशाखी आदि उपलब्ध किया जाता है।

विकलांग छात्रवृति

विकलांग छात्रवृतिः विद्यालय एवं कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को अपना शैक्षणिक कार्य पूरा करने हेतु सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है :–

कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र – 50रु0 प्रति छात्र प्रति माह

कक्षा 9 से स्नातक तक सरकारी विद्यालय/कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र – 250रु0 प्रति छात्र प्रति माह

स्नातक स्तर से उपर स्नात्कोत्तर हेतु सराकरी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र– 260 रु0 प्रति छात्र प्रति माह

सरकारी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के (आवासीय छात्र) – 260 रु0 प्रति छात्र प्रति माह

वित्तीय वर्ष 2010–11 में विकलांग छात्रवृति से लाभान्वित लाभूकों की संख्या – 9680

समेकित बाल संरक्षण योजना

- समेकित बाल संरक्षण योजना ''**बाल अधिकार संरक्षण**'' और ''**सर्वोत्तम बाल हित**'' के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, उन्हें बेसहारा छोड़ देने जैसी परिस्थितियों में कमी लाने में योगदान देना है।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) का गठन किया जा चुका है। जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण समिति (DCPS) का गठन प्रक्रियाधीन है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की निम्नलिखित रणनीति है :–

- जोखिम में पड़े हुए बच्चों और परिवारों के लिए जरूरतों और सेवाओं का मानचित्रण करना।
- जिला और राज्य स्तरों पर बाल संरक्षण योजनाएं तैयार करना। यह योजना क्रमशः प्रखण्ड तथा समुदाय स्तर पर विस्तारित की जाएगी।
- बाल संरक्षण से संबंधित निवारणात्मक, वैधानिक, और पुनर्वास सेवा की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना।
- प्रदत सेवाओं की लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा सेवाओं के गुणवत्ता में सुधार लाना।
- माता–पिता की देखरेख से वंचित बच्चों के लिए गैर संस्थागत परिवार आधारित देखरेख के विकल्पों को प्रोत्साहन देना और सुदृढ़ बनाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना जारी ....

- एक समेकित, जीवंत, वेब आधारित डेटाबेस की स्थापना (कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, देखरेख की जरुरत वाले बच्चे, सेवा प्रदाता और प्रदान की जाने वाली सेवाएं),
- समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विभ्न्नि कार्यक्रम एवं गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- सभी स्तरों पर, विशेष रूप से बुनियादी स्तर के समुदाय और जिला स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए भागीदारी और संबद्धता का निर्माण।
- अन्य निकायों और संस्थानों जैसे राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग और बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आयोग आदि के साथ सह संबंध मजबूत बनाना। आईसीपीएस द्वारा अनेक मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को एक साथ लाया गया है और कई नई पहल की गई हैं।

लक्ष्य समूह

- समेकित बाल संरक्षण योजना देखरेख और संरक्षण तथा कानूनी विवाद में और संपर्क वाले बच्चों की गतिविधियों पर केन्द्रित होगी :
- देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे।
- कानून के साथ विवाद में पड़े बच्चे अर्थात जिस पर अपराध करने का आरोप है।
- कानून के साथ संपर्क वाले बच्चे अर्थात जो पीड़ित या गवाह हो, या किसी अन्य परिस्थिति के कारण कानून के संपर्क में हो।

धन्यवाद